भरतसिंह बनाम दलीप सिंह वगै अपील संख्या :–64/2025

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-02-26	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष की बहस सुनी जा चुकी है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अपीलांट ने एक दावा बाबत विभाजन अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी ने इकबालिया जवाब के साथ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। परन्तु इस शपथ पत्र को क्रोस करने का अपीलांट/वादी को कोई मौका नही दिया गया। अपीलांट/वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया। बिना शपथ पत्र के दावा डिक्री कर दिया गया। दावा में वादी/अपीलांट की बहस सुने बिना ही दावा डिक्री कर दिया गया। तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है जिसे 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–09–2025 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस में कथन किये कि दावा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खाता विभाजन बाबत प्रस्तुत किया गया था। रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलांट के दावे के पक्ष में इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट/वादी के दावे को डिक्री करने में अपनी अनापति जाहिर की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि के खाता विभाजन बाबत प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलांट/वादी ने अपने 50/493 हिस्सा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड खाता विभाजन का अनुतोष चाहा था। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट/वादी के वाद पत्र के कथनो को स्वीकार किया गया और वाद डिक्री करने में अनापति जाहिर की गई। जहॉ प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के कथनो को स्वीकार किया गया वहॉ उन्हे साक्ष्य से साबित करने की आवश्यकता नही होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार स्वीकृत तथ्य को साक्ष्य से साबित करना आवश्यक नही है। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपीलांट/वादी का वाद प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसके द्वारा वादी/अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। इस स्थिति में अपीलांट/वादी अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार व्यथित है, यह साबित नही किया जा सका है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में तकनीकी बिन्दुओं का सहारा लेते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण को विलंबित करने के उदेश्य से की गई है। प्रकरण खाता विभाजन से संबंधित है जिसमें अपीलाधीन आदेश द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर प्रश्नगत भूमि के विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलांट को यदि विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज हो तो वह अंतिम डिक्री से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेंक), बीकानेर का अपीलाधीन आदेश व डिक्री दिनांक 04–09–2025 बहाल रखा जाता है। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 11–03–2026 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुना गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर